

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2019 (आषाढ 18, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे -

- (क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019),
- (ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019),
- (ग) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019),
- (घ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) तथा
- (ङ) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

- (क) एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,
- (ख) म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) के अन्तिम लेखे वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018,
- (ग) इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. मर्यादित का दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा,
- (घ) म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2015-2016 तथा
- (ङ) मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 33 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-22/2018/55-2, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 पटल पर रखेंगी.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्न अधिसूचनाएं -

- (क) क्र. एफ 22-12/2015/आठ, दिनांक 23 मई, 2015,
- (ख) क्र. एफ 22-20/2018/आठ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018,
- (ग) क्र. एफ 22-12/2015/आठ, दिनांक 02 जनवरी, 2019 तथा
- (घ) क्र. एफ 22-2/2019/आठ, दिनांक 12 जनवरी, 2019,

पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

- (i) बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड का 7 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,
- (ii) शहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,
- (iii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,
- (iv) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 एवं

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 71/म.प्र.वि.नि.आ./2018, दिनांक 16 जनवरी, 2018,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री हर्ष यादव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा पटल पर रखेंगे.

(7) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 तथा

(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के नियम 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(8) श्री सचिन यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267 - क के अधीन फरवरी, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, प्रदेश के विकलांग बच्चों को कृत्रिम अंग निश्चित अवधि में प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, जबलपुर शहर के मदनमहल पहाड़ियों से विस्थापित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 193-झाबुआ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री गुमान सिंह डामोर के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(2) श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 8 जुलाई, 2019

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.